भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
और
संधारणीयता नीति

(15 जुलाई 2020 को संशोधित)

1. परिचय

यह निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता नीति, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी सीएसआर और संधारणीयता संबंधी दिशा-निर्देशों (डीपीई दिशा-निर्देश, 2014), कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुरूप है।

1.1. उद्देश्य

इस नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सीएसआर के प्रमुख क्षेत्रों और परियोजनाओं या कार्यक्रमों की पहचान करना जिन्हें भाविप्रा प्रारम्भ करने की योजना बना रहा है;
- ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की कार्य-विधियां;
- ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया;
- भाविप्रा में सीएसआर पद्धतियों के बारे में हितधारकों को जागरूक करना; और
- व्यवसाय के संचालन में संधारणीय विकास के बड़े उद्देश्य और सीएसआर एजेंडे की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य करना।

1.2. सीएसआर और संधारणीयता ध्येय

एक बेहतर कल की दिशा में कार्य करने वाला एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना।

1.3. सीएसआर और संधारणीयता उद्देश्य

बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसीसी)/बोर्ड द्वारा समय-समय पर पहचाने गए सीएसआर महत्व वाले क्षेत्रों में भाविप्रा की जिम्मेदारी को ईमानदारी और प्रभावी ढंग से निभाना।

2. सीएसआर महत्व वाले क्षेत्र

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) एक बेहतर कल प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और समय-समय पर संशोधित अधिनियम की अनुसूची-VII के दायरे में सीएसआर गतिविधियों को आयोजित करके समाज के समग्र कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। हालांकि सीएसआर गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित होंगे:-

- **कौशल भारत (स्किल इंडिया)** : हवाई अड्डों के निर्माण, प्रचालन, रखरखाव और विकास के संबंध में व्यावसायिक कौशल प्रदान करना

• **स्वस्थ और स्वच्छ भारत:** भाविप्रा के हवाई अड्डों के स्थानीय क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वच्छ परिवेश, उचित जल निकासी;

• **हरित भारत:** नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता;

• **जिम्मेदार भारत:** ग्रामीण विकास परियोजनाएं और झुग्गी-बस्ती विकास परियोजनाएं;

• **धरोहर भारत:** मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण;

• सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कुशल तालमेल और बढ़े हुए प्रभाव को लागू करने के लिए

उपर्युक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। भाविप्रा सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि का कम से कम 75% स्थानीय क्षेत्रों पर खर्च करने को प्राथमिकता देगा। शेष राशि का उपयोग स्थानीय क्षेत्रों से परे किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं में किए गए योगदान, जहां भाविप्रा के लिए क्षेत्र और साथ ही दायरे को परिभाषित करना संभव नहीं है, को 75:25 अनुपात से बाहर रखा जाएगा। यह वांछनीय है कि सीएसआर पहल को यथासंभव परियोजना मोड में लिया जाना चाहिए। इस नीति की निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवधिक समीक्षा की जाएगी।

इस नीति में "स्थानीय क्षेत्र" शब्द का अर्थ वह जिला होगा जिसमें हवाई अड्डा / यूनिट प्रचालित होती है और उसके निकटवर्ती जिले।

3. सीएसआर संरचना

निम्नलिखित समितियां भाविप्रा द्वारा की गईं सीएसआर और संधारणीयता परियोजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख करेंगी और इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगी।

3.1. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसीसी)

कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित कम से कम तीन निदेशकों वाली समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:-

ए. सीएसआर और संधारणीयता नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, जिसमें भाविप्रा द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का संकेत दिया जाएगा;

बी. खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; और

सी. समय-समय पर भाविप्रा की सीएसआर और संधारणीयता नीति की निगरानी करना।

बीएलसीसी की संरचना अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों और डीपीई दिशानिर्देश, 2014 द्वारा शासित होगी। बीएलसीसी की संरचना में परिवर्तन या पुनर्गठन के संबंध में निर्णय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में होगा।

3.2. टियर ॥ समिति (निगमित मुख्यालय स्तर)

टियर ॥ समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:-

ए. अधिनियम, सीएसआर और संधारणीयता संबंधी भाविप्रा की नीति, सीएसआर संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2014 और बीएलसीसी तथा बोर्ड के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के चयन के लिए मानदंड तैयार करना;

बी. सीएसआर विभाग द्वारा प्रस्तुत सभी सीएसआर प्रस्तावों की समीक्षा करना और बीएलसीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

सी. हवाई अड्डों/इकाइयों के सहयोग से समय-समय पर सीएसआर कार्यक्रमों/गतिविधियों की प्रक्रिया की निगरानी और उनके प्रभाव का अध्ययन करना;

डी. समझौते के प्रारूप को मंजूरी देना और/या समझौते के प्रारूप में आवश्यकता आधारित परिवर्तन करना (परियोजना की स्वीकृति के पश्चात एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे);

ई. जब भी आवश्यक हो, सीएसआर कार्यक्रमों/गतिविधियों से संबंधित सुझाव देना।

टियर ॥ समिति का नेतृत्व कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इसमें वित्त, अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विभाग से महाप्रबंधक रैंक के तीन अधिकारी तथा अध्यक्ष द्वारा इसके सचिव के रूप में नामित एक ग्रुप 'ए' के कार्यपालक शामिल होंगे।

टियर ॥ समिति की संरचना में परिवर्तन या इसके पुनर्गठन के संबंध में निर्णय अध्यक्ष और सदस्य (योजना) की स्वीकृति से लिया जाएगा।

3.3. यूनिट स्तर की सीएसआर संरचना

3.3.1. नोडल अधिकारी

संबंधित विमानपत्तन निदेशक स्थानीय क्षेत्रों, जहां हवाई अड्डा/यूनिट संचालित होती है, से संबंधित सीएसआर और संधारणीयता कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। हवाई अड्डे द्वारा समीक्षा के लिए निगमित कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने वाले सीएसआर और संधारणीयता से संबंधित सभी प्रस्तावों/वार्षिक बजट/अन्य मामलों के लिए नोडल अधिकारी की संस्तुति की आवश्यकता होगी।

3.3.2. क्षेत्रीय मुख्यालय स्तरीय सीएसआर समिति (आरएलसीसी)/ हवाई अड्डा या यूनिट स्तरीय सीएसआर समिति (एएलसीसी)

आरएलसीसी/एएलसीसी का गठन क्षेत्रीय/एयरपोर्ट या यूनिट स्तर पर किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/विमानपत्तन निदेशक या यूनिट प्रमुख करेंगे।

समिति (क) क्षेत्र/एयरपोर्ट या यूनिट में प्राप्त सभी प्रस्तावों की समीक्षा करेगी; (ख) प्रक्रिया की निगरानी करेगी और समय-समय पर सीएसआर और संधारणीयता कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करेगी; (ग) जब भी आवश्यक हो, सीएसआर और संधारणीयता कार्यक्रमों/गतिविधियों के संबंध में सुझाव देगी।

आरएलसीसी/एएलसीसी का गठन या पुनर्गठन क्रमशः क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/विमानपत्तन निदेशक या यूनिट प्रमुख के अनुमोदन से किया जाएगा।

3.3.3. <u>क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक और विमानपत्तन निदेशक (महाप्रबंधक स्तर और उससे ऊपर) को सौंपी गई वित्तीय शक्ति</u>

सीएसआर बजट का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सीएसआर योजनाओं के लिए बजट का आवंटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उस वर्ष के सीएसआर बजट पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक स्तर तथा उससे ऊपर के विमानपत्तन निदेशक अपने अधिकार क्षेत्र में सीएसआर परियोजनाओं को अनुमोदन दे सकते हैं बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं का कुल मूल्य क्रमशः 3 करोड़ रुपये और 1.5 करोड़ रुपये से अधिक न हो और संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक स्तर तथा उससे ऊपर के विमानपत्तन निदेशक इस तरह के अनुमोदन की रिपोर्ट तुरंत सीएसआर सेल, निगमित मुख्यालय को देंगे, जो इसे भाविप्रा बोर्ड/सीएसआर समिति के समक्ष अगली बोर्ड/सीएसआर समिति की बैठक में सम्पुष्टि के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/विमानपत्तन निदेशक निधियों के खर्च संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे और उनके द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों/खर्च की गई राशि के लिए उत्तरदायी होंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोविड 19 महामारी के कारण भाविप्रा द्वारा सामना की गई वित्तीय तंगी के कारण क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक और विमानपत्तन निदेशक (महाप्रबंधक स्तर) की वित्तीय शक्तियों को क्रमशः 40 लाख और 20 लाख तक सीमित कर दिया गया है।

4. वित्तपोषण और आवंटन

4.1. <u>वित्त पोषण</u>

4.1.1. अधिनियम की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी) का दो प्रतिशत प्रति वर्ष सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा।

4.1.2. उपर्युक्त के अनुसार गणना करके प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर बजट बीएलसीसी द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.1.3. यदि आवंटित राशि खर्च नहीं की जा सकी हो, तो सीएसआर राशि खर्च न करने के कारणों का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा।

4.1.4. इसके अलावा खर्च न की गई सीएसआर राशि समाप्त नहीं होगी और इसके बजाय इसे यथासंभव अगले वर्ष के लिए उपयोग में लाया जाएगा ताकि जिस उद्देश्य के लिए इसे आवंटित किया गया था, उसका उपयोग किया जा सके।

4.1.5. सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष भाविप्रा के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

4.2. <u>आवंटन</u>

सीएसआर बजट का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सीएसआर योजनाओं के लिए बजट का आवंटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उस वर्ष के सीएसआर बजट पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

4.2.1. **प्रशासनिक ओवरहेड सहित क्षमता निर्माण**

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के अनुरूप वर्ष के सीएसआर बजट का 5% तक प्रशासनिक ओवरहेड सहित क्षमता निर्माण के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इस निधि का उपयोग भाविप्रा के सीएसआर कार्मिकों के साथ-साथ इसका कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों (कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थानों के माध्यम से) के कार्मिकों के क्षमता सृजन, बेसलाइन सर्वेक्षण और प्रभाव मूल्यांकन तथा सीएसआर कर्मचारियों के वेतन के लिए किया जाएगा।

4.2.2. **आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन**

किसी भी सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधि के चयन से पहले आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण वांछनीय है। आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण पर व्यय समग्र वार्षिक सीएसआर बजट के 5% की प्रशासनिक व्यय सीमा से पूरा किया जाएगा।

4.2.3. **प्रभाव आकलन**

सीएसआर मेगा परियोजनाओं के लिए भाविप्रा द्वारा चिन्हित किसी बाहरी एजेंसी/तृतीय पक्ष द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन करवाया जाना अनिवार्य है, जो परियोजना पूरा होने के बाद उचित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। समय सीमा का निर्धारण कार्य की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में एएलसीसी की सिफारिश के आधार पर नोडल अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। तृतीय पक्ष कार्यान्वयन एजेंसी के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करेगा और भविष्य के संदर्भ के लिए आवश्यक सुधार, यदि कोई हो, का सुझाव देगा।

यूनिट/निगमित कार्यालय योग्य एजेंसियों को सूचीबद्ध कर सकते हैं और उनके साथ जुड़ी पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं हेतु प्रभाव आकलन करने के लिए उनकी सूची रख सकते हैं। बाहरी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निगमित कार्यालय द्वारा यूनिटों को जारी किए जाएंगे।

प्रभाव आकलन अध्ययन पर होने वाला व्यय कुल वार्षिक सीएसआर बजट के 5% की प्रशासनिक व्यय सीमा से पूरा किया जाएगा।

इस नीति में "मेगा परियोजना" से तात्पर्य ऐसी परियोजना से होगा, जहां परियोजना का कुल संचयी मूल्य (चाहे एक या अधिक वित्तीय वर्षों तक विस्तारित हो या न हो) 2 करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान को मेगा परियोजना की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा, भले ही उसका मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक हो।

4.2.4. **आपातकालीन जरूरतों के लिए आरक्षित**

वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपातकालीन जरूरतों जैसे आपदा, विपत्ति आदि के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में सीएसआर नीति के अनुसार अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

4.2.5. **जारी सीएसआर परियोजनाओं का नवीनीकरण/विस्तार**

पूर्ण हो चुकी सीएसआर परियोजनाओं के नवीनीकरण या जारी परियोजनाओं के विस्तार के लिए विशेष एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध, जिसको संबद्ध हवाई अड्डे/क्षेत्र/मंडल की संस्तुति प्राप्त हो, पर समीक्षा और अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए सीएसआर बजट का उपयोग किया जाएगा। निगमित कार्यालय को परियोजना के नवीनीकरण का अनुरोध करने से पहले, इसका प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए और प्रस्ताव के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.2.6. **पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/सरकारी एजेंसियों आदि के माध्यम से प्रस्ताव**

पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटियों (जिनके पास समान कार्यक्रम या परियोजनाएँ करने का कम से कम तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है)/सरकारी एजेंसियों/ **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों** आदि से प्राप्त प्रस्तावों पर वर्ष के दौरान बजट की उपलब्धता और प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर समीक्षा के लिए विचार किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों/ **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों** से प्राप्त प्रस्तावों को आम तौर पर ट्रस्ट/सोसाइटियों के प्रस्तावों की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

कार्यान्वयन एजेंसियां भाविप्रा की सीएसआर और संधारणीयता नीति में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और भाविप्रा द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में सीएसआर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। (देखें "अनुलग्नक ए")

केवल उन एनजीओ (पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटियों) के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जो "अनुलग्नक बी" में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

स्थानीय क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों को अधिमानतः संबंधित हवाई अड्डों के माध्यम से भेजा जाएगा, जो उनकी समीक्षा करेंगे और चयनित प्रस्तावों को आगे की प्रक्रिया के लिए निगमित कार्यालय को भेजेंगे। स्थानीय क्षेत्रों से बाहर के प्रस्तावों को निगमित कार्यालय को भेजा जाएगा। प्रस्तावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए भाविप्रा का निर्णय अंतिम होगा।

5. कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग

5.1. <u>कार्यान्वयन</u>

सीएसआर और संधारणीयता गतिविधियों को भाविप्रा द्वारा स्वयं या सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, शैक्षिक/अकादमिक/स्वायत्त संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कर्मचारी स्वयंसेवी संगठनों, ट्रस्टों, स्वयं सहायता समूहों, पेशेवर परामर्शी संगठनों, अनुबंध एजेंसियों आदि जैसी विशेषज्ञता प्राप्त और अनुभवी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है। सीएसआर प्रस्तावों को आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन/सूचना भाविप्रा द्वारा प्रिंट और/या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकती है, जिसमें भाविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना भी शामिल है।

परियोजना के अनुमोदन के पश्चात कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाएगा:

• यदि कार्यान्वित की जा रही किसी परियोजना में उपकरण/प्रणालियों की स्थापना शामिल है, तो उस परियोजना के लिए बजट को अंतिम रूप देने के दौरान भाविप्रा के संबंधित हवाई अड्डों/यूनिटों से उन्हें प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है;

• भाविप्रा के हितों से समझौता किए बिना समझौते के प्रारूप और/या समझौते के प्रारूप में आवश्यकता आधारित परिवर्तन (एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले) के लिए सीएसआर संबंधी टियर ॥ समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी;

• संबद्ध हवाई अड्डा/यूनिट परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान इसकी निगरानी, समन्वय और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौते पर या तो विमानपत्तन निदेशक या फिर अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

• भाविप्रा निम्न कार्य कर सकता है:-

- किसी भी केंद्र/राज्य सरकार या किसी सीपीएसई प्रायोजित पहल के लिए संयुक्त/सहयोगात्मक तरीके से सहभागिता कर सकता है;

- जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकता है;

बशर्ते कि उपर्युक्त परियोजनाएं, कार्यक्रम, प्रस्ताव नीति में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों संबंधी प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आते हों।

5.2. <u>निगरानी</u>

गतिविधियों को समय पर पूरा करने और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए निगरानी की जाएगी। सभी स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी, जिसमें बाधाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें दूर करने संबंधी उपाय किए जाएंगे।

सभी सीएसआर और संधारणीयता परियोजनाओं/गतिविधियों की आरएलसीसी/ एएलसीसी के माध्यम से गहन पर्यवेक्षण और निगरानी की जाएगी। निर्धारित प्रारूप में प्रबंधन सूचना रिपोर्ट [जैसा कि कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुलग्नक में निर्दिष्ट है, "अनुलग्नक-सी" के रूप में संलग्न], हवाई अड्डों/यूनिटों द्वारा निगमित सीएसआर समूह को प्रत्येक महीने और छमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / विमानपत्तन निदेशक या यूनिट प्रमुख आवश्यकतानुसार, जैसा और जब अपेक्षित हो, स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना के पूरा हो जाने के बाद, संबद्ध हवाई अड्डा या यूनिट यह सुनिश्चित करेगी कि एक विस्तृत परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (जिसमें परियोजना के आरंभ से लेकर इसके पूरा होने तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया हो) हवाई अड्डा या यूनिट से परामर्श करके कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की जाए।

5.3. <u>रिपोर्टिंग</u>

भाविप्रा द्वारा की गई सीएसआर और संधारणीयता गतिविधियों को भाविप्रा की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से हितधारकों तक प्रसारित किया जाएगा।

उपर्युक्त रिपोर्ट और सीएसआर तथा संधारणीयता संबंधी नीति को भाविप्रा की वेबसाइट और इंट्रानेट पर अपलोड करके इन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बाहरी और आंतरिक हितधारक इनको देख सकें । सीएसआर और संधारणीयता पहलों को स्थानीय/राष्ट्रीय प्रिंट और दृश्य मीडिया, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और अन्य मंचों के माध्यम से हितधारकों तक पहुँचाया जा सकता है। आंतरिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, समाचार बुलेटिन, विवरणिका, इंट्रानेट आदि का भी आंतरिक हितधारकों के बीच सीएसआर और संधारणीयता पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है।

6. संधारणीयता पहल

भाविप्रा 3 'आर' अर्थात रिड्यूस, रिसाइकिल और रियूज तथा हरित प्रचालन और आपूर्ति श्रृंखला, उच्च दक्षता वाली प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा लेखा परीक्षा, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों की स्थापना, कम प्रवाह वाले शॉवरहेड के माध्यम से जल प्रबंधन, जल-दक्ष बाथरूम/शौचालय फिक्सचर, पर्यावरण हितैषी सफाई पदार्थ का उपयोग आदि जैसे एक समान उपाय करने में विश्वास करता है।

भाविप्रा का लक्ष्य अपने हवाई अड्डों/यूनिटों पर निम्नलिखित पहलों के साथ कई और पहल करने का है:-

• **अपशिष्ट जल प्रबंधन**- अपशिष्ट जल को साइट पर जल-मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) में उपचारित किया जा सकता है और इसका उपयोग फ्लशिंग और वृक्षारोपण के लिए पुनः किया जा सकता है।

• **अपशिष्ट में कमी और प्रबंधन**- हवाई अड्डे से उत्पन्न खाद्य अपशिष्ट को साइट पर खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। खाद और एसटीपी कीचड़ (स्लज) को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज और प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने वालों को दिया जा सकता है। प्रयुक्त तेल,

ई-कचरा और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेंसी के पास किया जा सकता है।

• **वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण**- बैटरी से प्रचालित वाहन, विमान के लिए सहायक विद्युत इकाई के स्थान पर एफईजीपी इकाइयाँ (फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल ग्राउंड पावर), डीजी सेटों के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय, सिंगल इंजन टैक्सिंग प्रक्रिया/रिवर्स थ्रस्ट के उपयोग में प्रतिबंध।

• **जन जागरूकता-** सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी सभी दिवस जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस आदि को हितधारकों के पूर्ण समर्थन से मनाया जा सकता है।

• **सतत पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी**- एकीकृत ऑनलाइन सतत पर्यावरण निगरानी स्टेशन चालू किया जा सकता है, हवाई अड्डों और उसके आसपास नियमित अंतराल पर तीसरे पक्ष द्वारा पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी की जा सकती है।

• वर्षा जल संचयन; स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग; जीएचजी उत्सर्जन प्रबंधन; ग्रीन बिल्डिंग आदि।

भाविप्रा प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करने के लिए तत्पर है जो ऊर्जा खपत के भविष्य को काफी हद तक परिवर्तित कर देगा।

उपर्युक्त पहल भाविप्रा को अपने अपेक्षित व्यवसायों को जिम्मेदार गतिविधियों में संलग्न करने हेतु सक्षम बनाएगी जो समाज और समुदाय पर उनके सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने के साथ-साथ कम भी करेगी। उपर्युक्त पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन से भाविप्रा को ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों सहित अपने सभी हवाई अड्डों को हरित हवाई अड्डा बनाने में मदद मिलेगी।

7. कर्मचारियों का सहयोग और सहभागिता

सफलता अर्जित करने के लिए किसी भी सीएसआर/संधारणीयता कार्यक्रम में कर्मचारियों को अवश्य शामिल करना चाहिए। इन कार्यक्रमों को कारगर बनाने हेतु वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ग्राहकों को जोड़ने के नए तरीके तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है; उन्हें सभी स्तरों पर कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि भाविप्रा में सभी को सीएसआर और संधारणीयता नीतियों और पद्धतियों के बारे में जानकारी है और उन्हें लागू करने में वे शामिल हैं।

प्रबंधन समझता है कि हवाई अड्डों पर कार्य करने वाले कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रों के सामाजिक/पर्यावरण संबंधी मामलों से अच्छी तरह अवगत हैं और इसलिए उचित सीएसआर प्रस्ताव की पहचान करने में कर्मचारियों के सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/विमानपत्तन निदेशक को अपने संबंधित हवाई अड्डों/क्षेत्राधिकार में कर्मचारियों को सम्मान देकर और/या उनके सुझाव आमंत्रित करने के अन्य तरीकों से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

8. विविध प्रावधान

8.1. जैसा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 18 जून 2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, अनुसूची-VII में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थ योगदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजन आदि जैसे एक बार वाले आयोजन सीएसआर गतिविधियों के रूप में पात्र नहीं होंगे।

8.2. सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल भाविप्रा के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ प्रदान करती हैं उन्हें सीएसआर गतिविधियां नहीं माना जाएगा।

8.3. डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार संधारणीयता पहल को कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में निर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा और उन पर किया गया व्यय भी सीएसआर व्यय का हिस्सा नहीं होगा। फिर भी, **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों** को अपने सामान्य बजटीय व्यय से ऐसी संधारणीयता पहलों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे संधारणीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है।

8.4 भाविप्रा अन्य **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों** के साथ मिलकर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा सीएसआर गतिविधियों को इस तरह से शुरू कर सकता है कि संबंधित संगठनों की सीएसआर समितियां कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के संबंध में अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

8.5. सीएसआर निधि/बजट में से कोई भी राशि किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं की जाएगी।

9. नीति की समीक्षा

नीति की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो किसी भी बदलाव की सिफारिश बीएलसीसी द्वारा की जाएगी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

अनुलग्नक-ए

सीएसआर प्रस्ताव तैयार करने का प्रारूप

भाग ए : सह-पत्र (कवरिंग लेटर) और वचनबद्धता

इसमें सीएसआर प्रस्ताव का आशय होना चाहिए। सह-पत्र के साथ निम्नलिखित वचनबद्धता एवं सहायक दस्तावेज होने चाहिए:

1. इस कार्यालय में प्रस्तुत सभी दस्तावेज हिंदी/अंग्रेजी में होने चाहिए। यदि दस्तावेज स्थानीय भाषा में हैं, तो विधिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. भाग ए, बी (एजेंसी से संबंधित) और सी (प्रस्ताव से संबंधित) में मांगी गई सभी जानकारी प्रस्ताव में शामिल करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर प्रस्ताव अधूरा माना जाएगा और रद्द किया जा सकता है।

3. घोषणा/वचनबद्धता कि प्रस्ताव में जो कुछ भी शामिल है, वह उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है, सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है, साथ ही तिथि, स्थान, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर भी होनी चाहिए।

4. घोषणा/वचनबद्धता कि एजेंसी को इसी प्रकार की परियोजनाओं को लागू करने में कम से कम तीन साल का अनुभव है। पिछले अनुभव से संबंधित जानकारी अनुलग्नक-I पर संलग्न प्रारूप में दी जानी है।

5. प्रस्तावित गतिविधियों की प्रकृति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार होनी चाहिए (अनुसूची VII की मद संख्या को कवरिंग शीट में दर्शाया जाना है)।

6. धोखाधड़ी, निधियों के दुर्विनियोजन, लाभार्थी के शोषण, सरकारी एजेंसियों जैसे लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्लूबी), महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आदि द्वारा काली सूची में डाले जाने के संबंध में लंबित विवादों या जांचों के बारे में स्व-घोषणा। (प्रारूप अनुलग्नक-II पर संलग्न है) (स्थानीय/राज्य/केंद्रीय या किसी अन्य सरकारी निकाय के मामले में अपेक्षित नहीं)

भाग ख: संगठनात्मक विवरण:

आवेदन में सहपत्र (कवरिंग लेटर) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

क्रम संख्या	जानकारी/ दस्तावेज़	पृष्ठ संख्या ..... पर विवरण दिया गया	के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़	
			स्थानीय/ राज्य/ केंद्रीय अथवा अन्य कोई सरकारी निकाय	अन्य
1	संगठन/ एजेंसी का संक्षिप्त ब्योरा		√	√
2	संगठन का ध्येय/ लक्ष्य, उद्देश्य और संविधान		√	√
3	योग्यता और अनुभव के साथ बोर्ड के सदस्यों / ट्रस्टियों की सूची (अद्यतन सूची)		x	√
4	पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा ट्रस्ट डीड			√
5	एजेंसी की घोषणा कि इसके द्वारा जारी किए जा रहे आयकर छूट प्रमाण पत्र: 80जी/ 35एसी आदि मान्य हैं और उनकी वैधता को राजस्व विभाग/ आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया है।			√
6	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सरकारी एजेंसियों से सीएसआर गतिविधियों के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण। (परियोजना का नाम, वित्तपोषण करने वाली एजेंसी,स्थान, लाभार्थी और कार्य पूर्ण होने का वर्ष)		√	√
7	वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों द्वारा जारी किए गए परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ पिछले 3 वर्षों के दौरान इसी तरह के क्षेत्र (क्षेत्रों) में पूर्ण की जा चुकी प्रमुख परियोजना (ओं) (संलग्नक-I का संदर्भ लें) का विवरण और उन परियोजनाओं की प्रभाव आकलन रिपोर्ट		√	√
8	प्रगतिशील प्रमुख परियोजना(ओं) का विवरण (अनुलग्नक -iii का संदर्भ लें)		√	√

9	योजनागत में प्रमुख परियोजना का विवरण (ओं) (अनुलग्नक -iv का संदर्भ लें)			√
10	कोई पुरस्कार, प्रशंसा अथवा मान्यता			√
11	पैन कार्ड की प्रति			√
12	एफ़सीआरए प्रमाणपत्र और फॉर्म एफ़सी-3 में नवीनतम एफ़सीआरए रिटर्न, यदि कोई हो।			√
13	पिछले तीन वर्षों के लिए दायर आयकर रिटर्न की पावती।			√
14	निम्नलिखित सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट:			√
	क) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट			√
	ख) बैलेंस शीट			√
	ग) आय एवं व्यय खाता			√

भाग ग: सीएसआर परियोजना विवरण

सीएसआर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान किया जाना है (कृपया अनुक्रम का पालन करें):

क्रम संख्या	जानकारी/ दस्तावेज़	कौनसे पृष्ठ संख्या पर विवरण दिया गया	किसके द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं	
			स्थानीय /राज्य/ केंद्रीय अथवा अन्य कोई सरकारी निकाय	अन्य
1	परियोजना का शीर्षक, उसका उद्देश्य और औचित्य			
2	शुरू की जाने वाली प्रस्तावित सीएसआर परियोजना का संक्षिप्त विवरण			
3	परियोजना की आवश्यकता का आकलन करने वाले आंकड़ों के साथ इसका औचित्य / परियोजना की आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट।			
4	इस गतिविधि की आवश्यकता को बताते हुए ग्राम पंचायत से विवरण और सरकार राज्य / सरकार / ग्राम पंचायत अधिकारियोका प्रमाण पत्र कि प्रस्तावित गतिविधि को किसी भी सरकारी / गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा शुरू नहीं किया जा रहा है अथवा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।			
5	प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र, अर्थात वह स्थान जहां परियोजना प्रस्तावित की जा रही है।			
6	प्रस्तावित परियोजना के कुल बजट परिव्यय के बारे में विवरण, भाविप्रा से कितनी सहायता मांगी गई है, एजेंसी कितना व्यय कर रही है और यदि कोई अन्य पार्टियां भी पूँजी लगा रहीं है तो राशि और उसकी सीमा।			

7	प्रचलित बाजार दरों के संदर्भ में अपनी लागत का औचित्य स्थापित करने हेतु सहायक दस्तावेजों जैसे बजटीय उद्धरण, सरकारी दरों (जैसे लागू डीएसआर, सीजीएचएस आदि) के साथ विवरण (बीओक्यू आदि) सहित लागत अनुमान का विस्तृत ब्योरा (कृपया दरों के औचित्य का समर्थन करने वाले प्रत्येक व्यय शीर्ष का विवरण प्रदान करें)			
8	प्रगतिशील/ आंशिक रूप से वित्त पोषित परियोजना के मामले में वर्तमान स्थिति			
9	परियोजना के अपेक्षित परिणाम अधिमानतः मापने योग्य/ मात्रात्मक। बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि की संख्या के संदर्भ में लक्षित लाभार्थियों का विवरण। लाभार्थियों के चयन की प्रणाली का विस्तृत ब्योरा।			
10	समय सीमा के साथ प्रयोगात्मक परियोजना निष्पादन अनुसूची सहित परियोजना के कार्यान्वयन का तरीका (मोडस ऑपरेंडी)।			
11	कार्यान्वयन के दौरान पारदर्शिता और लागत की प्रतिस्पर्धात्मकता दर्शाने वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी			
12	परियोजना की संधारणीयता हेतु कार्यप्रणाली			
13	अवसंरचनात्मक विकास परियोजना के मामले में भूमि के स्वामित्व और उपयोग का विवरण। कृपया निर्बंध स्वामित्व और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें। यदि यह स्थानीय भाषा में है, तो कृपया इसे विधिक प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हिंदी/ अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, प्रमाणित वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृत निर्माण मानचित्र और प्राक्कलन की प्रति भी प्रदान करें।			
14	यदि सक्षम प्राधिकारी से प्रस्ताव से संबंधित कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र / अनुमोदन/ अनुमति हो,			
15	ब्रांडिंग के संदर्भ में भाविप्रा को लाभ			
16	परियोजना की सीमाएं, यदि कोई हो।			

संलग्नक - I

(पिछले तीन वर्षों में एजेंसी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का प्रारूप)

एजेंसी का नाम:_____

प्रस्ताव का नाम:_____

वित्तीय वर्ष*	क्रम संख्या	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	परियोजना की अवधि	परियोजना की लागत	लक्षित लाभार्थी	परियोजना का प्रभाव
2016-17	1)					
	2)					
	3)					
2015-16	1)					
	2)					
	3)					
2014-15	1)					
	2)					
	3)					

दिनांक _____

स्थान _____ ___

संलग्नक - II

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत शपथ पत्र)

<u>वचनपत्र</u>

हम घोषणा करते हैं कि:

1. धोखाधड़ी, निधियों के दुर्विनियोजन, लाभार्थी के शोषण आदि के संबंध में हम पर कोई विवाद अथवा जाँच-पड़ताल लंबित नहीं हैं;

2. संगठन को सरकार/ सरकारी एजेंसी जैसे कि लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडबल्यूबी), महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय / सीपीएसई / एनसीएसआर हब आदि द्वारा कभी भी "काली सूची" में नहीं डाला गया है अथवा "फटकार" नहीं लगाई गई है।

3. हमारे पास समान प्रकार की परियोजनाओं को लागू करने का कम से कम तीन साल का अनुभव है, प्रस्तावित परियोजना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार है;

4. निदेशक मंडल/ट्रस्टी/कार्यकारी समिति के किसी भी सदस्य अथवा संगठन का भाविप्रा के साथ किसी प्रकार का भौतिक या वित्तीय संबंध नहीं है;

5. हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि प्रस्तावित सीएसआर परियोजना के लिए भाविप्रा वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता है, तो हम

क. भाविप्रा को सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाऊंटेंट) द्वारा जारी निधि उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे;
ख. कैश बुक, बैंक बुक, बहीखाता, जर्नल, प्रासंगिक बिल, वाउचर और रसीद आदि जैसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का रखरखाव करेंगे और उन्हें कम से कम 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित रखेंगे;
ग. भाविप्रा की मांग पर सभी विवरण प्रदान करेंगे और भाविप्रा के कहने पर कभी भी (प्रतिधारण अवधि के भीतर) उनके अधिकृत प्रतिनिधि को आवश्यक लेखा परीक्षा / निरीक्षण (निरीक्षणों) अनुमति दी जाएगी,;
घ. परियोजना की प्रगति को दर्शाने वाले ऑडियो/ विजुअल के साथ परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के विषय में मासिक सूचना रिपोर्ट (एमआईआर) प्रदान करेंगे;

एतद्वारा हम यह घोषित करते हैं कि उपर्युक्त उल्लिखित सभी तथ्य हमारी जानकारी के अनुसार सत्य हैं, सही हैं और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक: _____ अधिकृत हस्ताक्षर

स्थान: _____ (संगठन की मुहर)

संलग्नक - III

प्रगतिशील सीएसआर परियोजनाएं

दिनांक ..... को स्थिति

क्रम संख्या	परियोजना का शीर्षक (संक्षिप्तीकरण से बचें)	परियोजना की प्रकृति	वित्तपोषण करने वाली एजेंसी (नाम और पता)	परियोजना की संभावित लागत (लाख रुपये में)	संभावित समय सीमा (महीना और वर्ष)		संभावित मापने योग्य प्रभाव
					शुरुआत	अंत	
1							
2							
3							

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

दिनांक:

(नाम और पदनाम)

संलग्नक - IV

योजनागत परियोजनाएँ

(भाविप्रा को प्रस्तावित परियोजना के अतिरिक्त)

दिनांक ..... को स्थिति

क्रम संख्या	परियोजना का शीर्षक (संक्षिप्तीकरण से बचें)	परियोजना की प्रकृति	वित्तपोषण करने वाली एजेंसी (नाम और पता)	परियोजना की संभावित लागत (लाख रुपये में)	नियोजित समय सीमा (महीना और वर्ष)		संभावित मापने योग्य प्रभाव
					शुरुआत	अंत	
1							
2							
3							

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

दिनांक:

(नाम और पदनाम)

संलग्नक - ख

भाविप्रा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के चयन और लेखन प्रस्ताव के दिशानिर्देश

I. गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के चयन हेतु दिशानिर्देश

1.1 ए. पंजीकरण का विवरण

विधिक स्थिति: गैर सरकारी संगठन विधितः पंजीकृत होना चाहिए:-

(i) ट्रस्ट;
(ii) सोसाइटी; या
(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8/ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी।

वह एनजीओ/संगठन, न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि (भाविप्रा को अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर) से पंजीकृत होना चाहिए। **"पात्रता प्राप्त मामलों में, कोई भी गैर सरकारी संगठन जो पहले ही भाविप्रा की किसी भी इकाई/साइट के साथ काम कर चुका है, को योग्यता के आधार पर इस खंड (न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव) से छूट दी जा सकती है"**

1.1बी. अवसंरचना:

गैर सरकारी संगठन की मूल अवसंरचना व्यवस्थित होनी चाहिए [परिसर (चाहे अपना हो या किराए पर), मूलभूत कार्यालयी उपकरण, प्रस्तावित सीएसआर परियोजना को लागू करने के लिए अवसंरचना की उपलब्धता आदि] ।

1.1सी. स्थायी संगठनात्मक संरचना

इसमें परियोजना में शामिल कर्मीदल की संरचना/संख्या, कर्मीदल/आयोजक आदि का नाम, भूमिका और उत्तरदायित्व, संगठन की क्षमता, कार्यक्रम/परियोजना के संदर्भ में कार्मिकों का अनुभव और विशेषज्ञता, संगठन के अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्र तथा संगठन द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं ।

1.1डी. सुदृढ़ विश्वसनीय लिंक वाले गैर सरकारी संगठनों को वरीयता दी जाएगी:

(i) चयनित सूची बनाने के दौरान, नीति में उल्लिखित सीएसआर प्रमुख क्षेत्रों में स्थापित कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड रखने वाले गैर सरकारी संगठनों को वरीयता दी जाएगी। गैर सरकारी संगठन कार्य के प्रस्तावित क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत होना चाहिए।
(ii) गैर सरकारी संगठन का सरकार और भाविप्रा के पदाधिकारियों के साथ हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।
(iii) गैर सरकारी संगठन को समय-समय पर लागू किए जाने वाले विभिन्न विधानों, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सरकार अथवा किसी अन्य संबद्ध प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
(iv) गैर सरकारी संगठन को प्राप्त होने वाले किसी भी योगदान को अधिमानतः आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर में छूट की अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।
(v) गैर सरकारी संगठन को यह खुलासा करना होगा कि क्या उन्हें किसी अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता मिलती है।

1.1 ई. <u>अपने प्रचालन के वित्तीय पक्ष के संदर्भ में सही और निष्पक्ष ट्रैक रिकॉर्ड:</u>

इसमें अनिवार्य रूप से अपनी पिछली गतिविधियों से संबंधित पारदर्शी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल है। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठन की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा:

(i) ऐसे किसी भी गैर सरकारी संगठन के विषय में विचार नहीं किया जाएगा जिस पर धोखाधड़ी, निधियों के दुर्विनियोजन, लाभार्थियों के शोषण आदि जैसे अपराधों के संबंध में कानूनी विवाद लंबित है अथवा जाँच-पड़ताल चल रही हो।

(ii) किसी भी सरकारी एजेंसी जैसे कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडबल्यूबी), महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1.1 **एफ. <u>अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ अच्छा कामकाजी संबंध और नेटवर्किंग:</u>** गैर सरकारी संगठन का अन्य गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों आदि (गैर सरकारी संगठन के प्रचालन क्षेत्र में) के साथ अच्छे कामकाजी संबंध और नेटवर्किंग होनी चाहिए।

<u>दस्तावेज़</u>

परियोजना का प्रस्ताव यहां उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों (भाग क, ख और ग तथा इसके अतिरिक्त अनुलग्नकों का संदर्भ लें) के साथ होना चाहिए।

<u>वचनबद्धता:</u> अनुदानग्राही इस आशय की वचनबद्धता देगा कि वह

क) अनुदान की सभी शर्तों का पालन करेगा;

ख) अनुदानों का उपयोग किसी अन्य काम के लिए नहीं करेगा और न ही अन्य संस्थानों अथवा संगठनों (अनुमोदन प्राप्त संस्थानों अथवा संगठनों के अतिरिक्त) को संबंधित कार्य योजना का निष्पादन सौंपेंगा। तथापि, यह स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों को काम पर लगा सकता है अथवा यदि आवश्यक हो, तो भाविप्रा की मंजूरी के साथ कुछ विशिष्ट गतिविधियों को आउटसोर्स कर सकता है।

ग) इन शर्तों का अनुपालन करने में विफलता अथवा वचनबद्धता का उल्लंघन करने की स्थिति में, अनुदानग्राही 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से अनुदान की संपूर्ण/अप्रयुक्त राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सभी दस्तावेजों (प्रत्येक पृष्ठ) पर आवेदक या उसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि और संगठन के ट्रस्टी/अध्यक्ष का पूरा हस्ताक्षर एवं मोहर होनी चाहिए। भाविप्रा द्वारा किसी भी मूल दस्तावेज की मांग की जाने की स्थिति में गैर सरकारी संगठन उसे प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।

<u>गैर-सरकारी संगठन से प्राप्त आवेदनों की जांच करना</u>

गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त सभी प्रस्तावों का विश्लेषण संबंधित सीएसआर समूह/ सेल द्वारा किया जाएगा ताकि गैर सरकारी संगठन से और कोई अपेक्षित स्पष्टीकरण लिया जा सके और उसे निरीक्षण, जांच तथा सिफारिश हेतु सीएसआर शीर्ष समूह/समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

फंड जारी करना:

नीचे दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार फंड वितरित किया जाएगा:

(i) लक्षित हस्तक्षेपों के लिए 3 साल की अधिकतम परियोजना अवधि को प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाना चाहिए और वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुसार फंड की मंजूरी दी जानी चाहिए।

(ii) स्वीकृत राशि को उपयुक्त किस्तों में वितरित किया जाना चाहिए। पहली किस्त शुरुआत में जारी की जाएगी और बाद की किस्तें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा अधिमानतः भाविप्रा द्वारा भौतिक सत्यापन के आधार पर जारी की जाएंगी। जब भुगतान बाहरी पक्षों जैसे कि स्कूल की फीस के लिए स्कूल को या अस्पताल को किया जाना है, तो इन पक्षों को सीधे चेक भेजा जाएगा।

उपयोगिता प्रमाण पत्र: भाविप्रा से प्राप्त फंड से संबंधित शीर्ष के तहत व्यय का विस्तृत ब्योरा देते हुए विवरण जारी किया जाए, जो कि गैर सरकारी संगठन के लेखा परीक्षकों या किसी भी सीए फर्म (जैसा भी मामला हो) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए।

रिपोर्टिंग प्रणाली:

(i) संगठन द्वारा गैर सरकारी संगठन के लेखा परीक्षकों या चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी भी फर्म द्वारा परियोजना के पूरा होने की तिथि से तीन महीने के भीतर एक विधिवत प्रमाणित पूर्ण परियोजना रिपोर्ट, खातों का विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ii) इसके अतिरिक्त, संगठन द्वारा परियोजना की लंबित अवधि तक एक त्रैमासिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(iii) अन्य कोई रिपोर्ट (भाविप्रा की अपेक्षानुसार)

बजट:

गैर सरकारी संगठन/संगठन द्वारा मांगी गई बजटीय/वित्तीय सहायता गैर सरकारी संगठन के पिछले वर्ष के कुल वित्तीय लेनदेन की दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संलग्नक-ग

सीएसआर गतिविधियों संबंधी प्रबंधन सूचना रिपोर्ट का प्रारूप

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना अथवा पहचानी गई गतिविधि।	परियोजना किस क्षेत्र में शामिल है	परियोजनाएँ अथवा कार्यक्रम)1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) वह राज्य और जिला निर्दिष्ट करें जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम शुरू किए गए थे			परियोजना अथवा कार्यक्रम के अनुसार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि के उप:शीर्ष- (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय:	रिपोर्टिंग अवधि तक का संचयी व्यय	व्यय की गई राशि : प्रत्यक्षतः अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से *
			परियोजना अथवा कार्यक्रम	स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	जिला और राज्य				
1									
2									
3									
	कुल								

*कार्यान्वयन एजेंसी का ब्योरा दें: